क्रम संख्या–66

पंजीकृत संख्या–यू०ए०/डी०ओ०/डी०डी०एन०/30/2009–11

(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट

भाग–1, खण्ड (क)

(उत्तराखण्ड अधिनियम)

देहरादून, शुक्रवार, 29 अप्रैल, 2011 ई0

बैशाख 09, 1933 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

विधायी एवं संसदीय कार्य विभाग

संख्या 181/XXXVI(3)/2011/22(1)/2011

देहरादून, 29 अप्रैल, 2011

अधिसूचना

विविध

" भारत का संविधान" के अनुच्छेद 200 के अधीन महामहिम राज्यपाल ने उत्तराखण्ड विधान सभा द्वारा पारित **"उत्तराखण्ड मोटरयान करांधान सुधार (संशोधन) विधेयक, 2011"** पर दिनांक 25 अप्रैल, 2011 को अनुमति प्रदान की और वह उत्तराखण्ड का अधिनियम संख्या 16 वर्ष, 2011 के रूप में सर्व–साधारण को सूचनार्थ इस अधिसूचना द्वारा प्रकाशित किया जाता है।

उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2011

{उत्तराखण्ड अधिनियम संख्या 16 वर्ष 2011}

उत्तराखण्ड मोटर यान कराधान सुधार अधिनियम, 2003 का अग्रतर संशोधन करने के लिए

अधिनियम

भारत गणराज्य के बासठवें वर्ष में उत्तराखण्ड राज्य विधान सभा द्वारा अधिनियमित –

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ 1. (1) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार (संशोधन) अधिनियम, 2011 है।

(2) यह दिनाँक 08.05.2010 से प्रवृत्त होगा।

धारा 5 का संशोधन

2. उत्तराखण्ड मोटरयान कराधान सुधार अधिनियम, 2003, (जिसे यहाँ आगे मूल अधिनियम कहा गया है) की धारा 5 को निम्नवत् प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात :–

"(1) इस अधिनियम द्वारा या उसके अधीन यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय तथा उत्तराखण्ड राज्य से भिन्न किसी अन्य राज्य या संघ राज्य क्षेत्र द्वारा मोटर यान अधिनियम, 1988 की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन प्रदान किये गये राष्ट्रीय परमिट के अधीन संचालित माल वाहन, जिनके द्वारा केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान कर दिया है, को छोड़कर कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में किसी सार्वजनिक स्थान पर नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में, धारा 4 के अधीन देय कर के अतिरिक्त, यथास्थिति–

(क) उत्तराखण्ड के भीतर अधिकारिता युक्त, प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटों के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, तृतीय अनुसूची; या

(ख) उत्तराखण्ड में अंशतः पडने वाले अन्तर्राज्यीय मार्ग के लिए उत्तराखण्ड के बाहर अधिकारितायुक्त प्राधिकारियों द्वारा स्वीकृत परमिटो के अधीन चलाये जाने वाले माल वाहन के मामले में, छठी अनुसूची में विनिर्दिष्ट ऐसे माल वाहन के सम्बन्ध में लागू दर पर अतिरिक्त कर का भुगतान न कर दिया गया हो;

परन्तु यह कि राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा उक्त अनुसूचियों में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त कर की दरों में वृद्धि, जो पचास प्रतिशत से अधिक नहीं होगी, कर सकती है।

(2) जहाँ सड़क द्वारा ले जाये जाने वाले माल के कराधान से सम्बन्धित कोई पारस्परिक करार उत्तराखण्ड सरकार और किसी अन्य राज्य सरकार या संघ राज्य क्षेत्र के मध्य किया जाय, वहाँ उपधारा (1) के अधीन अतिरिक्त कर का उद्ग्रहण, उक्त उपधारा में किसी बात के होते हुए भी ऐसे करार के निबन्धनों और शर्तों के अनुसार होगा;

परन्तु यह कि इस प्रकार उद्गृहीत अतिरिक्त कर, उस अतिरिक्त कर से अधिक नहीं होगा, जो इस अधिनियम के अधीन अन्यथा उदगृहीत होता।"

धारा 10 का संशोधन

3. मूल अधिनियम की धारा 10 की उपधारा (1) के खण्ड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खण्ड प्रतिस्थापित कर दिया जायेगा; अर्थात :–

"(ख) किसी ऐसे प्राधिकारी द्वारा, जिसकी अधिकारिता उत्तराखण्ड के बाहर हो, उक्त अधिनियम की धारा 88 की उपधारा (12) के अधीन दिये गये किसी राष्ट्रीय परमिट के अधीन कोई माल वाहन उत्तराखण्ड में नहीं चलाया जायेगा, जब तक कि उसके सम्बन्ध में केन्द्रीय मोटर यान नियमावली, 1989 के नियम 87 के अधीन समेकित फीस का भुगतान विहित रीति से न कर दिया गया हो।"

तृतीय अनुसूची का संशोधन

4. मूल अधिनियम की तृतीय अनुसूची का खण्ड (ङ) निरसित कर दिया जायेगा।

आज्ञा से,

राम सिंह,
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of **"The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2011"** (Adhiniyam Sankhya 16 of 2011).

As Passed by the Uttarakhand Legislative Assembly and assented to by the Governor on April 25, 2011.

No. 181/XXXVI(3)/2011/22(1)/2011
Dated Dehradun, April 29, 2011

NOTIFICATION

Miscellaneous

The Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2011

[Uttarakhand Act No. 16 of 2011]

An

Act

to further amend the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms Act, 2003

Be it enacted in the Sixty-second Years of the Republic of India by the Uttarakhand State Legislative Assembly as follows :-

Short title and commencement

1. **(1)** This Act may be called the Uttarakhand Motor Vehicles Taxation Reforms (Amendment) Act, 2011.

(2) It shall come into force on 08.05.2010.